नैनीताल की ज़ोनिंग हेतु NGT के निर्देश

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) **ने नैनीताल शहर को निषिद्ध (Prohibited), विनियमित (Regulated) और विकसित (Development) ज़ोन** में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया।

- **इस ज़ोनिंग का उद्देश्य अनियंत्रित** शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव को सीमित करना और **विकास संबंधी उत्तरदायित्व को** प्रबंधित करना है।
- **NGT ने "वहन क्षमता"** की अवधारणा पर ज़ोर दिया, जो कि अधिकतम जनसंख्या और विकास के स्तर को संदर्भित करता है जिसे नैनीताल अपने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना प्रबंधित कर सकता है,
  - होटलों के पास पार्किंग निर्माण के लिये **बाँज (Oak) और देवदार के पेड़ों** की कटाई से नैनीताल के जलग्रहण क्षेत्र में बड़ी **पारिस्थितिकि क्षति हुई है, जिससे** नैनीताल झील **का पुनर्भरण प्रभावित हुआ है।**
- नैनीताल झील एक **चंद्राकार मीठे पानी की झील है जो जिसका निर्माण विवर्तनिक गतिविधियों** के फलस्वरूप हुआ था। यह उत्तराखंड के **कुमाऊं क्षेत्र** में स्थित है।
- NGT एक **वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010** के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और **शीघ्र निपटान हेतु की गई है।**

//

और पढ़ें... [राषट्रीय हरति अधकिरण (NGT)]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ngt-s-directive-on-zoning-of-nainital